सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A2
7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :–08/2013 तारीख दायरा 14.12..2013

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर .....प्रार्थी
बनाम
मनोहरी देवी पत्नी रामेश्वर लाल जाति ब्राहमण निवासी 13 एच..... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः–
1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 22/1/18

1 उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि उपखण्ड एवं आवंटन अधिकारी श्री करणपुर द्वारा 21.06.1983 को चक 13 एच के खसरा नम्बर 90 के 12 बीघा व खसरा नम्बर 91 के 86 बीघा गैर मुमकिन पायतन में से खसरा नम्बर 90 व 91 में से मु0नं0 8 के किला नम्बर 1,2,9,से 12. 19 से 23 सालम किला नम्बर 24 व 25 का 0.10 बीघा प्रत्येक कुल 12.00 बीघा मु0नं0 7 के किला नम्बर 5,6,14 से 17, 24 व 25 प्रत्येक 8.00 बीघा कुल 20.00 बीघा अप्रार्थीया को आवंटित किया गया। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित थी। आवंटन खारिज योग्य है।

2 रैफरेन्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया।

3 बहस उभय पक्षीय सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि आराजी जेर बहस जरिये आवन्टन आदेश दिनांक 21.06.1983 को आवटित की गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी। जिसे आवन्टन नहीं किया जा सकता था। अतः रैफरैंस स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।

4 इसके विरोध में लायक वकील अप्रार्थी का कथन है कि आवंटन अधिकारी उप खण्ड अधिकारी श्री करणपुर द्वारा जेर बहस रकबा आवंटन की समस्त शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात रकबा आवंटन करने से पूर्व जिला कलक्टर महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर मुमकिन से गैर मुमकिन किया जाकर आरक्षित मूल्य के चार गुणा प्रति बीघा के हिसाब से अप्रार्थीया को आवंटित किया गया था। रैफरेंस 34 वर्ष के बाद पेश किया गया है जो पोषणीय नहीं है। इस संबंध में नजीर आरआरडी 2016 पेज 33, आर.आर.डी.2012 पेज 137 तथा डीएनजे 2005 पेज 162 पेश की।

6 पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। बहस में उठाये गये तर्को पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकित की गई। आवंटन अधिकारी श्री करणपुर द्वारा आदेश दिनांक 31.7.84 द्वारा अप्रार्थीया को जोहड़ पायतन की भूमि आवंटित की गई है।

7 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

"उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है"

8. सुयोग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दृष्टांत आरआरडी 2016 पेज 33, आर.आर.डी.2012 पेज 137 तथा डीएनजे 2005 पेज 162 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है उक्त दृष्टांतों में अकारण देरी व असाधारण विलम्ब से पेश किये गये रैफरैंस सारहीन हैं उक्त दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया मेरे विनम्र मत में इस मामले के व प्रस्तुत

दृष्टान्तों के तथ्य भिन्न हैं। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जोहड़ की भूमि को आवंटन अथवा खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। दृष्टांतों में पक्षकारों के मध्य पारस्परिक विवाद है लेकिन इस मामले में राज्य हित व जन हित निहित है अतः उक्त दृष्टांत इस मामले पर चस्पां नही होते।

9. जहां तक जोहड़ की भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन किये जाने का संबंध है। इस संबंध में डी.बी. सिविल जन हित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.08.04 में इस तरह के प्रकरणों में किस्म परिवर्तन को अवैध माना गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(3) के अनुसार गैर मुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, ताल, पोखर, जलाशयों, गोचर आदि की भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं, पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते। उक्त रिट याचिका की पालना में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत सुझावों के मध्य नजर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में उल्लिखत किया है कि :-

''All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc.as on 15-08-19 all should be declared as Government land Any conversions made after 15-8-47 should be declared illegal The relevant act and rules must be amended accordingly In the Government owned lakes and other water bodies,the khatedari rights of private persons in their submergence area be brought under the ownership of the Government."

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार जल स्त्रोतों की वर्ष 1947 की स्थिति को बहाल किया जाना है।

10 उक्त भूमि की किस्म मुताबिक आदेश उपखण्ड अधिकारी जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। धारा 16 में उपबंधित किया गया है कि Land reserved for flow of water can not be allotted on the basis of long possession ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने योग्य है।

11 अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व (प्रार्थी) तहसीलदार श्री करणपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि जो अप्रार्थी को आवंटित की गई को निरस्त करवाने हेतु व पुनः मकबूजा जोहड़ दर्ज करवाने हेतु रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत करें।

12 निर्णय की 2 प्रतियां मूल आवन्टन पत्रावली सहित तहसीलदार श्री करणपुर को प्रेषित की जावे कि राजकीय अधिवक्ता माननीय राजस्व मण्डल के माध्यम से रैफरैंस पेश करें।। इस न्यायालय से पत्रावली नम्बर से कम की जाये।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला